



नेशनल एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन

Website: www.ipmabharat.com Ph: 0121-4349311

Ref. No. NAHPA/IMP/2026/82787

Dated- 23/03/2026

परिपत्र (Circular)

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती/कुं लोकेश कुमार पुत्र श्री बदी प्रसाद
जिला अध्याक्ष जी, जिला इकाई, पश्चिमी चंपारण विहार
नेशनल एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन (NAHPA)

विषय: नेशनल एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन (NAHPA) के समस्त सक्रिय पदाधिकारियों को इस परिपत्र की प्राप्ति-तिथि से 15 (पंद्रह) दिवस की निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत स्वीय जिले में जिला समिति का विधिवत गठन करते हुए, समिति की पूर्ण संरचना एवं पदाधिकारियों का विवरण राष्ट्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाने के संबंध में।

महोदय,


- उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संगठन के सुदृढीकरण एवं जिला-स्तरीय कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले में एक सक्रिय एवं कार्यशील जिला समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए।
- अतः इस परिपत्र के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में 'जिला समिति' का गठन सुनिश्चित करें।
- समिति गठन के उपरांत इसकी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए:

- समिति के समस्त नवनियुक्त सदस्यों के नाम एवं पदनाम।
- सभी पदाधिकारियों के अद्यतन संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी)।
- नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सचिव का पूर्ण जीवन-वृत्त (Bio-data)।

4. जिला समिति में नियुक्त किए जाने वाले पदों का मानक विवरण एवं संख्या संलग्नक-1 में दी गई है, जिसका अक्षरशः पालन किया जाना अपेक्षित है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।

6. आदेश की अवहेलना एवं दंड का प्रावधान (Penalty Clause):


अभिषेक गिरि
Abhishek Giri
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
National Vice President
नेशनल एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association

यदि कोई पदाधिकारी इस परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत करने में असमर्थ रहता है अथवा जानबूझकर इस आदेश की अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में संगठन के संविधान एवं अनुशासन नियमावली के अंतर्गत निम्नलिखित दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है:

(क) प्रथम उल्लंघन पर — संबंधित पदाधिकारी को लिखित चेतावनी (Written Warning) जारी की जाएगी तथा उनका स्पष्टीकरण 07 (सात) दिवस के भीतर राष्ट्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) द्वितीय उल्लंघन पर — संबंधित पदाधिकारी की सदस्यता को निलंबित (Suspend) किया जा सकेगा एवं उन्हें संगठन की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से अस्थायी रूप से वंचित किया जा सकेगा।

(ग) तृतीय उल्लंघन अथवा गंभीर अवहेलना की स्थिति में — राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विवेकाधिकार से संबंधित पदाधिकारी को उनके पद से पदमुक्त (Removal from Post) किया जा सकेगा तथा भविष्य में संगठन के किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

विशेष उल्लेख: उपर्युक्त दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से पूर्व संबंधित पदाधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर (Opportunity of Being Heard) प्रदान किया जाएगा, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principle of Natural Justice) के अनुरूप है।

भवदीय



(अमृत कुमार)

कार्यालय राष्ट्रीय सचिव

नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स

एसोसिएशन (NAHPA)

दिनांक: 23/03/2026

भवदीय



(अभिषेक गिरि)

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स

एसोसिएशन (NAHPA)

दिनांक: 23/03/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन (NAHPA), नई दिल्ली।
2. समस्त राज्य प्रमुख / समन्वयक, नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन (NAHPA)।
3. कार्यालय अभिलेख फ़ाइल।



अभिषेक गिरि
Abhishek Giri
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
National Vice President
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association
Former Name : Indian Paramedical Association

संलग्नक - 1

जिला समिति संरचना एवं पदों का विवरण

जिला इकाई के सुचारू संचालन हेतु निम्नलिखित पदों पर पदाधिकारियों का मनोनयन/चयन किया जाना प्रस्तावित है:

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	संक्षिप्त दायित्व
1.	अध्यक्ष	01	जिला इकाई का नेतृत्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण
2.	उपाध्यक्ष	02	अध्यक्ष के कार्यों में सहायता
3.	महासचिव	01	कार्यालय संचालन एवं पत्राचार
4.	संयुक्त सचिव	01	रिकॉर्ड कीपिंग एवं समन्वय
5.	कोषाध्यक्ष	01	वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
6.	संगठन मंत्री	01	सदस्यता विस्तार एवं जनसंपर्क
7.	मीडिया प्रभारी	01	प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया
8.	कार्यकारिणी सदस्य	05	बैठकों में प्रतिभाग एवं परामर्श
कुल योग:		13	

विशेष नोट: उपरोक्त समिति का कार्यकाल संगठन के संविधान के अनुसार निर्धारित होगा। सभी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता एवं सक्रियता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


अभिषेक गिरि
Abhishek Giri
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
National Vice President
नेशनल एलाइड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association
Former Name : Indian Paramedical Association